



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/377

दिनांक: 07.08.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल सदस्य/सीओए

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: अग्रिम प्राधिकरण (एए) और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएँ (ईपीसीजी) योजनाओं के अंतर्गत निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए लाइसेंसवार स्वैच्छिक शुल्क भुगतान विवरण की उपलब्धता।

संदर्भ संख्या: ट्रेड नोटिस संख्या 15/2026-27 दिनांक 5 अगस्त 2026

हम आपको बताना चाहते हैं कि DGFT ने ऊपर बताया गया ट्रेड नोटिस जारी किया है, जिसमें **एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (EODC) एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए लाइसेंस के हिसाब से वॉलंटरी ड्यूटी पेमेंट डिटेल्स उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की गई है।**

इस पहल का मकसद एडवांस ऑथराइजेशन (AA) और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (EPCG) स्कीम के तहत एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (EODC) एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के लिए एक आसान, डिजिटल और पेपरलेस सिस्टम बनाना है।

AA और EPCG स्कीम के तहत EODC एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग और क्लोजर के लिए सिर्फ कस्टम्स/ICEGATE से मिले डेटा के आधार पर DGFT पोर्टल (BO/CP) पर दिखाई गई वॉलंटरी ड्यूटी पेमेंट डिटेल्स को ही माना जाएगा।

जिन सदस्यों के पास **एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG ऑथराइजेशन, या दूसरे एक्सपोर्ट प्रमोशन लाइसेंस** हैं और जिन्हें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऊपर दी गई सुविधा पर ध्यान दें और EODC के लिए अप्लाई करने से पहले यह पक्का कर लें कि सभी ड्यूटी पेमेंट डिटेल्स DGFT सिस्टम में सही-सही दिखाई दे रही हैं।

मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी और इंस्ट्रक्शन के लिए ऑफिशियल DGFT ट्रेड नोटिस देखें:

https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202608061155_04.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परावे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल